

95
1

1

न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 7, लखीगपुर-खीरी।

उपस्थित:- सूर्या चौहानउ0प्र0 न्यायिक सेवा।

मु0सं0-1109/2010

श्रीमती शाकिया उम लगभग 30 वर्ष पत्नी जुबराइल उर्फ बुद्धा पुत्री अहमद अली निवारी ग्राम सरैयाकला मजरा गिर्जापुर थाना ईरानगर हालपता ग्राम ऊंचगांव थाना ईरानगर जिला खीरी।

.....अभियोगिनी।

बनाग

- 1-जुबराइल उर्फ बुद्धा उम लगभग 35 वर्ष पुत्र गोहरग अली- पति ।
- 2-श्रीमती इरलागन उम लगभग 55 वर्ष पत्नी गोहरग अली-सारा ।
- 3-सुबराती उम लगभग 40 वर्ष पुत्र फाजिल-चचिया सरारु ।

.....अभियुक्तगण।

धारा-498ए,323,504,506, भा0दं0सं0
व 3/4 डी0पी0 एक्ट
थाना-ईरानगर, जिला-लखीगपुर-खीरी।

:-निर्णय:-

अभियुक्तगण जुबराइल उर्फ बुद्धा, श्रीमती इरलागन व सुबराती का विचारण अन्तर्गत धारा-498ए,323,504,506, भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र पर न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 01-02-2019 के आधार पर किया गया है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि यादिनी निकाह अरसा लगभग 15 वर्ष पूर्व विपक्षी सं01 जुबराइल उर्फ बुद्धा के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज की परम्परा के अनुसार हुआ था। कुछ दिन तक ठीक ठाक चलने के बाद विपक्षी सं01 जुबराइल उर्फ बुद्धा व इरलागन व सुबराती ने अभियोगिनी से कहा कि अपने मायके से 50,000/-रु0 दुकान हेतु अतिरिक्त दहेज में दिलवाओं तभी उसकी इस घर में गुजर बसारी होगी। अभियोगिनी ने उक्त दहेज वाली बात अपनी मां व भाई से बताया तो अभियोगिनी की मां ने विपक्षीगण की काफी खुशामद बरामद करते हुये अतिरिक्त दहेज में 50,000/-रु0 देने में असमर्थता व्यक्त किया तब विपक्षीगण अभियोगिनी को खाने कपड़े की तकलीफें देकर प्रताड़ित करने लगे अभियोगिनी यह समझकर बर्दाश्त करती रही कि शायद भविष्य में यह सब ठीक हो जाये। दिनांक 25-05-2018 को समय लगभग 08:00 बजे सुबह विपक्षी जुबराइल उर्फ बुद्धा व इरलागन व सुबराती ने अभियोगिनी को लात मुक्कों से मारापीटा व समस्त स्त्रीधन छीनकर नंगी बुच्ची करके बाल पकड़कर घर से घसीटकर निकाल दिया और कहा भाग जा साली बांझ अपने घर को दोबारा आयी तो जान से मार देंगे। अभियोगिनी किसी तरफ गांव में ही अपनी बहन के यहां जाकर मायके फोन करवाया तो अभियोगिनी की मां व भाई मौके पर गये और अभियुक्तगण की काफी खुशामद बरामद किया लेकिन यह अभियोगिनी को रखने को तैयार नहीं हुये हैं। (3)

परिवादिनी श्रीमती शाकिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद में किये गये कथनों एवं साक्षीगण के बयानों के आधार पर विपक्षीगण जुबराइल उर्फ बुद्धा, श्रीमती इस्लामन व सुबराती को न्यायालय आदेश दिनांकित 01-02-2019 से धारा-498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट मे विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और जमानत करायी। पत्रावली पर परिवादिनी/पी0डब्लू01 शाकिया का साक्ष्य अन्तर्गत धारा-244 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण जुबराइल उर्फ बुद्धा, श्रीमती इस्लामन व सुबराती के विरुद्ध दि0 14-07-2023 को धारा-498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण किये जाने की मांग की गयी।

परिवादिनी शाकिया की ओर से अपने परिवाद कथानक के समर्थन में पी0डब्लू0-1 के रूप में स्वयं को साक्ष्य अन्तर्गत धारा-244 दं0प्र0सं0 में परीक्षित कराया गया है तथा बचाव पक्ष की ओर से जिरह अन्तर्गत धारा-246 दं0प्र0सं0 की गयी।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और गवाहों द्वारा गलत बयान दिया जाना व मुकदमा रंजिशन चलने का कथन करते हुये सफाई साक्ष्य दिये जाने से इनकार किया गया है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 25-05-2018 को बहद स्थान ग्राम सरैयाकला थाना ईसानगर जिला खीरी में अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा शाकिया को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा गन्दी-गन्दी गालियां देकर मारापीटा तथा उसे जान से मारने की धमकी दी?

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से द्वारा तर्क किया गया कि पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य से परिवाद कथानक की सम्पुष्टि होती है तथा अधिरोपित अपराध संदेह से परे सिद्ध होता है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि परिवादिनी के बयान से परिवाद कथानक की सम्पुष्टि नहीं होती है और परिवादिनी अपने साक्ष्य के माध्यम से अपराध संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रही है। कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादिनी के बयान परिवाद पत्र के कथन व अन्य साक्षियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास मौजूद है। जिस प्रकार परिवादिनी के द्वारा घटना होना बताया गया है, उस प्रकार घटनाकम असंभव है। मामले में अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है, तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

साक्षी पी0डब्लू0-1 परिवादिनी शाकिया ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा-244 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि मेरा निकाह आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व विपक्षी जुबराइल के साथ हुआ था मेरी व विपक्षी से कुछ अनबन होने के कारण आज से लगभग साढ़े पांच वर्ष पूर्व समय लगभग 08:00 बजे सुबह विपक्षी जुबराइल ने मुझे बुरा भला कहकर व सारा स्त्रीधन छीनकर घसीटकर घर से निकाल दिया था तब से मैं अपने मायके में रह रही हूँ विपक्षी जुबराइल ने

मेरी कोई खोज खबर नहीं लीया। जब मेरी कहीं कोई सुनवायी नहीं हुयी तब मैंने यह मुकदमा दायर किया है।

इस साक्षी पी०डब्लू००१ से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० की गयी अपनी जिरह में साक्षी पी०डब्लू००१ द्वारा कथन किया गया है कि यह परिवाद मैंने दायर किया था, जिसमें मैंने अपने पति का नाम जुबराइल उर्फ बुद्धा लिखाया था, जो गलत लिख गया था। मेरे पति का नाम इसराइल उर्फ बुद्धा है। मेरी शादी इसराइल उर्फ बुद्धा से करीब 20 वर्ष पूर्व हुयी थी। मेरे व मेरे पति से कोई बच्चे नहीं हैं, शादी के बाद मेरा व मेरे पति के बीच आपसी मनमुटाव हो गया था, इसलिए मैं अपने मायके चली आयी थी, मेरे पति इसराइल उर्फ बुद्धा/जुबराइल उर्फ बुद्धा ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही मुझे अभियुक्तगण ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने अपने मायके वालों के कहने पर अपने पति जुबराइल उर्फ बुद्धा /इसराइल उर्फ बुद्धा व अपनी सास इस्लामन उर्फ फातिमा व सुबराती के विरुद्ध मैंने यह परिवाद न्यायालय में दायर किया था मेरे साथ अभियुक्तगण ने कभी कोई गाली-गलौज व मारपीट व जान से मारने की धमकी नहीं दी और न ही मुझे प्रताड़ित किया और न ही अभियुक्तगणों ने मेरा स्त्रीधन छीनकर अपने पास रखा और न ही मुझे अपने घर से निकाला मैं अपनी स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही हूँ। मेरे द्वारा परिवाद में दिखायी गयी घटना गलत है।

इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू००१ वादिनी मुकदमा शाकिया द्वारा अपने साक्ष्य धारा-244 दं०प्र०सं० में तो परिवाद कथानक का समर्थन किया है, परन्तु अपनी जिरह अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० में साक्षी पी०डब्लू००१ ने स्वयं ही कथन किया है कि मेरे साथ अभियुक्तगण ने कभी कोई गाली-गलौज व मारपीट व जान से मारने की धमकी नहीं दी और न ही मुझे प्रताड़ित किया और न ही अभियुक्तगणों ने मेरा स्त्रीधन छीनकर अपने पास रखा और न ही मुझे अपने घर से निकाला मैं अपनी स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही हूँ। मेरे द्वारा परिवाद में दिखायी गयी घटना गलत है।”

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में स्वयं वादिनी मुकदमा द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा परिवादपत्र में उल्लिखित घटना कारित किये जाने इनकार किया है, जिससे विदित है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा शाकिया के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार वादिनी मुकदमा के स्वयं के कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से परिवाद कथानक की पुष्टि नहीं होती है। परिवादिनी परिवाद कथानक के तथ्य को सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रही है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी द्वारा अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से न्यायालय इस मत पर पहुंची है कि परिवादिनी अपने परिवाद को सन्देह से परे युक्ति-युक्ति संदेह से परे साबित करने में असफल रही है। अतः अभियुक्तगण जुबराइल उर्फ बुद्धा /इसराइल उर्फ बुद्धा, इस्लामन उर्फ फातिमा व सुबराती

आदेश

अभियुक्तगण जुबराइल उर्फ बुद्धा / इसराइल उर्फ बुद्धा, इस्लामन उर्फ फातिमा व सुबराती को अन्तर्गत धारा-498ए, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामों व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए0, दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत दो प्रतिभू एवं स्वबंधपत्र मु0 20,000/-रू0 प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके द्वारा दौरान वाद प्रस्तुत किये गये पूर्व व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामों निरस्त किये जाते हैं तथा पूर्व जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र अन्तर्गत धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अगले छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे तथा उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त बन्धपत्र एवं जमानतनामों अगले छः माह की अवधि तक इस आशय से सुरक्षित रखें जायें कि यदि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में तलब किया जाता है तो वह माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे तथा जमानतीगण भी उक्त अवधि में अभियुक्त को माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने हेतु बाध्य होंगे तथा इस दौरान उच्चतर न्यायालय में अपीलीय न होने की स्थिति में उपरोक्त बन्धपत्र एवं जमानतनामों स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

दिनांक-26-07-2023

(सूर्या चौहान),
अपर सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं07, लखीमपुर-खीरी।
J.O. Code-UP3420

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-26-07-2023

(सूर्या चौहान),
अपर सिविल जज (जू0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं07, लखीमपुर-खीरी।
J.O. Code-UP3420

Sw Seen
वि0 अ
Ka. Ar
(Sw-AP-0)
जुबराइल इसराइल बुद्धा
1/7/23